उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404

☎ 01334–244143

01334–244282(F)

संख्या :: 20/01/E-1(PSC-12)/2013-14 हरिद्वार :: दिनांक :: 20 अप्रैल, 2017

सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा– 2012

अनुभाग : परीक्षा अनुभाग–1 **विज्ञापनः संख्या : A-1/E-1/2014-15**

साक्षात्कार–ज्ञाप

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2012 हेतु आयोग की बेवसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में उपरोक्त परीक्षा हेतु पूर्वान्ह् **09:30 बजे/अपरान्ह् 12:30 बजे** होना निर्धारित है।

2– इस ज्ञाप के साथ वेबसाईट पर निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ मजबूत धागे से नत्थीकर साक्षात्कार तिथि पर प्रस्तुत करेंगे– (1) विस्तृत आवेदन–पत्र **(Detailed Application Form)** (2) प्रमाणीकरण प्रपत्र **(Attestation Form)** (3) देशना–प्रपत्र **(Index Card)**

3– इस परीक्षा में सम्मिलित विभिन्न पदों की वरीयता हेतु अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाईट पर दिनॉक 10 मई, 2017 से ऑन–लाईन वरीयता प्रस्तुत करनी होगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से वरीयता स्वीकार नहीं की जायेगी और न ही ऑन–लाईन प्रस्तुत वरीयता में किसी परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार किया जायेगा।

4– अभ्यर्थी समस्त प्रपत्रों को पूर्ण रूप से भरकर स्व–हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्रों को आवेदन पत्र के साथ निम्न क्रम में नत्थी करेंगें– **(i)** आवेदन पत्र **(ii)** प्रश्नगत परीक्षा के पदों हेतु ऑन लाइन प्रस्तुत की गयी वरीयता के प्रिन्ट आउट प्रति। **(iii)** हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र **(iv)** इण्टरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण पत्र **(v)** स्नातक के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षो के अंक पत्र व डिग्री **(vi)** स्नातकोत्तर अर्हता के प्रथम व द्वितीय वर्ष के अंक पत्र व डिग्री **(vii)** आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र **(viii)** अनुभव प्रमाण पत्र **(ix)** अधिमानी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र **(x)** सेवारत् होने पर विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र। **(xi)** पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु शारीरिक मापदण्ड में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र। उपरोक्तानुसार संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र मूल प्रमाण पत्रों के साथ परीक्षण हेतु साक्षात्कार तिथि पर आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेंगें।

6– साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क (सामान्य वर्ग हेतु रू0 150/– एवं आरक्षित वर्ग/पूर्व सैनिक/विकलांग हेतु रू0 60/–) आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

7– साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने पासपोर्ट साइज के नवीनतम स्व–हस्ताक्षरित दो (02) फोटोग्राफ अभिप्रमाणित करके अवश्य लाएँ।

8– अभ्यर्थियों को प्रस्तर 04 के अनुसार साक्षात्कार के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्रवेश की अनुमाति नहीं होगी। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में घोषित हुए हों और परीक्षा संस्था **(Examining Body)** ने नियमित प्रमाण–पत्र **(Certificate)** अथवा उपाधि **(Degree)** प्रदान न की हो, उनके लिए औपबन्धिक **(Provisional)** सर्टिफिकेट मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 06 माह से पूर्व के नहीं होने चाहिए।

9– आयोग परिसर में मोबाइल फोन इत्यादि का प्रयोग वर्जित है।

(मौहम्मद यूनुस)
अनुभाग अधिकारी
कृते सचिव।